हिन्दू विधि

2011 - 10

प्र०-1 हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम,2005 द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार विधि में कोन-कोन से परिवर्तन किये गए हैं !

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के स्थान पर हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा एक नई धारा जोड़ी गई है जिसके द्वारा सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्री को पुत्र के समान ही हित प्रदान किया गया है। उक्त धारा का सुसंगत भाग निम्नलिखित है :

"6(1). हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से ही मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब में किसी सहदायिक की पुत्री -

(क) जन्म से ही अपने स्वयं के अधिकार से उसी रीति से सहदायिक बन जायेगी जैसे पुत्र होता है;

(ख) सहदायिकी संपत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त हुये होते जब वह पुत्र होती;

(ग) उक्त सहदायिकी संपत्ति के सम्बन्ध में पुत्र के समान ही दायित्वों के अधीन होगी, और हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक के प्रति किसी निर्देश से यह समझा जायेगा कि उसमें सहदायिकी पुत्री के प्रति कोई निर्देश सम्मिलित है :

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी व्ययन या अन्यसंक्रामण को, जिसके अन्तर्गत संपत्ति का ऐसा कोई विभाजन या वसीयती व्यय भी है, जो 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व किया गया था, प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगी।

(2) कोई संपत्ति, जिसके लिये कोई हिन्दू नारी उपधारा (1) के आधार पर हकदार बन जाती है, उसके द्वारा सहदायिकी स्वामित्व की प्रसंगतियों सहित धारित की जायेगी और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी वसीयती व्ययन द्वारा उसके द्वारा व्ययन किये जाने योग्य संपत्ति के रूप में समझी जायेगी।

(3) जहां किसी हिन्दू की हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 प्रारंभ के पश्चात् मृत्यु हो जाती है, वहाँ मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की संपत्ति में उसका हित, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत हो जायेगा परन्तु उत्तरजीविता के आधार पर नहीं और सहदायिकी संपत्ति इस प्रकार विभाजित की गई समझी जायेगी मानो विभाजन हो चुका था, और

(क) पुत्री को वही अंश आबंटित होगा जो पुत्र को आबंटित किया गया है;

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

(ख) पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री का अंश, जो उन्हें तब प्राप्त हुआ होता यदि वे विभाजन के समय जीवित होते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र या ऐसी पूर्व मृत पुत्री की उत्तरजीवी संतान को आवंटित किया जायेगा और

(ग) किसी पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान का अंश, जो उस संतान ने उस रूप में प्राप्त किया होता यदि वह विभाजन के समय जीवित होती, यथास्थिति, पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान की संतान को आबंटित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिये हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में का वह अंश समझा जायेगा जो उसे आबंटित किया गया होता यदि उसकी अपनी मृत्यु से अव्यवहित पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता, इस बात का विचार किये बिना कि यह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।

सहदायिकी में कोई सहदायिक और उसके तीन पीढ़ी तक के वंशज (पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र) सम्मिलित होते थे। कोई नारी सहदायिक नहीं हो सकती थी। अब हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा पुत्री को भी सहदायिक बना दिया है और उसका भी पुत्र की भाँति पिता की सम्पत्ति में जन्म से अधिकार होगा।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

मिताक्षरा के समान ही दक्षिण भारत में मातृ- प्रधान कुटुम्बों में सम्पत्ति का न्यागमन उत्तरजीविता से होता था न कि उत्तराधिकार द्वारा। उनके सम्बन्ध में भी यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि वहाँ उत्तरजीविता का नियम चाल रहेगा अथवा सम्पत्ति उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन न्यागत होगी। धारा 7 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वहां सम्पत्ति का न्यागमन उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन होगा।

स्थानम् सम्पत्ति पर भी उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। 'स्थानम्' का तात्पर्य ऊँचे पद अथवा हैसियत से होता है।'स्थानम्' और स्थानम्द का इस प्रकार आविर्भाव हुआ। पश्चिमी तट के कुछ अभिजात हिन्दू कुटुम्बों ने अपने कुटुम्बों के साथ स्थानम् कहा जाने वाला पद जोड़ लिया था जिसका शाब्दिक अर्थ है, हैसियत' पंक्ति या गरिमा 59 स्थानम के धारक को स्थानी या स्थानम्दार कहा जाता था। शासकों ने अपने सेनानायकों और महत्वपूर्ण लोक-अधिकारियों को 'स्थानम' प्रदान किये थे और अधिकारी की गरिमा को बनाये रखने के लिए उन स्थानमों के साथ प्रायः भूमि का अनुदान किया जाता था। राजकुमारों और सेनानायकों के कुटुम्बों के अतिरिक्त कुछ अन्य कुटुम्ब भी थे जिनके पास 'स्थानम्' थे किन्तु उनके साथ कोई विशिष्ट गरिमा जुड़ी हुई नहीं थी। इस संस्थान की प्रसंगतियाँ ये थी कि कुटुम्ब का वरिष्ठतम सदस्य स्थानम्दार बन जाता था जो प्रायः पुरुष-सदस्य होता था। किन्तु कुछ ऐसे भी उदाहरण हैँ जहां वरिष्ठतम नारी-सदस्य ही स्थानम्दार बनी थी। हर स्थानम्

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

की पृथक् पृथक् सम्पत्तियाँ होती थीं और ये तत्समय पद के धारक में निहित होती थीं और वह उत्तरवर्ती को उत्तराधिकार में मिलती थीं

उत्तराधिकार अधिनियम स्थानम्दार की मृत्यु के पश्चात् स्थानम् को भंग कर देने का उपबन्ध करता है। इसके अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् जब कोई स्थानम्दार मरता है तब उसके द्वारा धारित स्थानम् सम्पत्ति उस कुटुम्ब के सदस्यों को जिसका कि वह स्थानम्दार है, और स्थानम्दार के दायादों को न्यागत होगी। इस सम्बन्ध में ऐसा माना जाएगा कि स्थानम् सम्पत्ति स्थानम्दार और उस समय कुटुम्ब के जीवित सभी सदस्यों के बीच स्थानम्दार की मृत्यु के तुरन्त पूर्व व्यक्तिवार विभाजित कर दी गई थी ।

संक्षेप में, धारा 7 के द्वारा मरुमक्कत्तायम, नम्बूदरी तथा अलियसन्तान विधियों के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों का निरसन कर दिया गया है। उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के उपरान्त उक्त विधियों द्वारा शासित होने वाले व्यक्तियों के हितों का न्यागमन उत्तराधिकार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार होगा, उन विधियों के अनुसार नहीं इसी प्रकार स्थानम् सम्पत्ति का न्यागमन भी उत्तराधिकार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ही होगा।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

2012 -10

प्र०-2 हिन्दू उत्तराधिकार 1956 की मुख्य विशेषताओ का वर्णन करो!

Discuss the main changes brought about by the Hindu Succession Act, 1956 in the Law of inheritage.

Or

Discuss the main features of Hindu Succession Act, 1956. उत्तर-हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में एक क्रान्तिकारी विचारधारा को जन्म दिया है। यद्यपि इससे पूर्व न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से पूर्व हिन्दू विधि में परिवर्तन होते रहे हैं फिर भी हिन्दू उत्तराधिकार की वर्तमान विधि को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता बनी ही रही । सन् 1937 में हिन्दू नारी की सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार अधिनियम पारित हो जाने पर सरकार ने हिन्दू उत्तराधिकार विधि में संशोधन करने के लिए राव कमेटी नियुक्त की । राव कमेटी द्वारा स्वीकृति नीति के आधार पर अनेक अधिनियम पारित किये गये जिनमें से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 सबसे महत्वपूर्ण है । वास्तव में इस अधिनियम द्वारा हिन्दुओं के उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये गये। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

(1) मिताक्षरा और दायभाग शाखाएँ दाय सम्बन्धी नियमों की दृष्टि से समाप्त हो गई हैं। अब समस्त देश के हिन्दुओं के लिए दाय की एक रूप विधि है।

(2) वर्ण के आधार पर, अर्थात् द्विज और शूद्र के आधार पर विधि के कतिपय उपबन्धों में जो कठिनाई थी, वह समाप्त हो गई है।

(3) दक्षिण भारत में प्रचलित मातृप्रधान प्रणाली में दाय के नियमों के बारे में विभिन्न अधिनियम के उपबन्ध समाप्त हो गये हैं। (4) यह अधिनियम सभी हिन्दू, बौद्ध, जैन व सिक्खों के लिए लागू होता है। (5) यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्ति के लिए लागू नहीं होता है जिस पर विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 के उपबन्ध लागू होते हैं।

(6) यह अधिनियम मिताक्षरा सह-भागीदार सम्पत्ति के लिए भी लागू नहीं होता याद सह-भागीदारी अनुसूची (1) में उल्लिखित किसी स्त्री सम्बन्धी अथवा ऐसी स्त्री सम्बन्धी के माध्यम द्वारा दावे करने वाले पुरुष सम्बन्धी को छोड़कर नहीं कत्ता है।

(6) हिन्दू-नारी की सीमित सम्पदा अब समाप्त हो गई है हिन्दू नारी अब जो सम्पत्ति दाय या अन्य रूप में प्राप्त करती है। उसकी पूर्ण स्वामिनी है। (8) विभिन्न प्रकार के स्त्रीधन और परिणामस्वरूप उसके सम्बन्ध में उत्तराधिकारी सम्बन्धी नियम समाप्त हो गये हैं। (७) हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए एकरूप क्रम का उपबन्ध किया गया है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

(10) हिन्दू-नारी की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए एकरूप का उपबन्ध किया गया है। (11) अधिनियम द्वारा दिया गया उत्तराधिकार का क्रम पिण्डदान सिद्धान्त अथवा रक्त-सम्बन्ध पर आधारित न होकर स्नेह तथा सहानुभूति पर आधारित किया गया है, अर्थात् सम्पत्ति उन सम्बन्धियों को प्राप्त होगी जिनके प्रति सामान्य मृतक का स्नेह और सहानुभूति रही है और यह जीवन काल में स्वयं भी उसको अपनी सम्पत्ति के प्राप्त होने की कामना रखे होगा (12) यह अधिनियम की उत्तराधिकारी तथा पुरुष उत्तराधिकारी में कोई भेदभाव नहीं रखता।

(13) अधिनियम में दाय भाग तथा मिताक्षरा शाखाओं के द्वारा विहित उत्तराधिकार के क्रम को समाप्त कर दिया है। (14) यह अधिनियम रोग, दोष तथा अंगहीनता के कारण दाय प्राप्त करने से अपवर्जित नहीं करता है। (15) धर्म परिवर्तन के किए हुए हिन्दू का वंशज अपने सम्बन्धियों से उत्तराधिकार प्राप्त करने के अयोग्य होता है।

(16) अधिनियम के अन्तर्गत विधवा, अविवाहित स्त्री तथा पति द्वारा त्यागी पृथक् हुई स्त्री को अपने पिता के घर में रहने का अधिकार है । हुई अथवा

(17) किसी की हत्या करने वाले को उत्तराधिकार से वर्जित नहीं किया गया है। (18) हिन्दू मिताक्षरा पद्धति का सदस्य इस अधिनियम के अन्तर्गत, अपना भाग (Share) वसीयत कर सकता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

(19) इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भ में स्थित सन्तान को भी उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है।

(20) इस अधिनियम के अन्तर्गत जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी निर्वसीयत सम्पत्ति के उत्तराधिकार प्राप्त कर लेते हैं, अपने अंश को व्यक्तिपरक न कि पितृपरक रीति से सहआभोगी के रूप में प्राप्त करेंगे।

(21) किसी संविदा अथवा करार के आधार पर (जो किसी देशी राजा और सरकार के बीच हुआ हो) अथवा किसी अधिनियम के अनुसार अकेले एक दायक के प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को छोड़कर अन्य प्रकार की अविभाज्य सम्पत्ति समाप्त हो गई है। दूसरे शब्दों में रूढ़िगत अविभाज्य सम्पदा समाप्त हो गई है।

(22) इस अधिनियम के अनुसार कोई भी सहदायिक की सम्पत्ति को अपने हक को वसीयत द्वारा हस्तांतरित कर सकता है। (23) अधिनियम की धारा 31 के अनुसार हिन्दू दाय विधि अधिनियम 1929 तथा हिन्दू स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1937 को निरस्त कर दिया गया है। अधिनियम का क्षेत्र तथा विस्तार - भारत के सभी हिन्दुओं के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

2013-10

प्र०-3 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन एक हिन्दू स्त्री द्वारा धारित संपत्ति की क्या प्रकृति है ! निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू स्त्री की संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियमों का वर्णन कीजिये!

नारी-सम्पदा को 'विधवा-सम्पदा', (Woman's Estate) अथवा 'सीमित सम्पदा'(Limited Estate) के नाम से भी जाना जाता है। यह वह सम्पत्ति है जिसे नारी किसी पुरुष अथवा नारी2 से दाय में पाती है अथवा उसे बंटवारे में प्राप्त होती है। यह सम्पत्ति उसे केवल अपने जीवनकाल में उपभोग के लिये प्राप्त होती है। वह इसका अन्य-संक्रामण कतिपय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ही कर सकती है। उसके मरने के पश्चात् यह सम्पदा उसके अपने दायादों को न प्राप्त होकर गत पूर्ण स्वामी (चाहे वह पुरुष हो, अथवा नारी) के दायादों को प्राप्त होती है। बम्बई में यह नियम थोड़े परिवर्तन के साथ लागू होता है। वहाँ यदि कोई नारी परिवार में विवाह के द्वारा आई है तो वह उस परिवार में प्राप्त दाय को नारी सम्पदा के रूप में लेती है । अन्य गोत्र की नारियाँ, अथवा जो विवाह होने पर अन्य गोत्र की हो जायेंगी, जब दाय ग्रहण करती हैं तो वह नारी-सम्पदा न होकर उसकी अनिर्बन्धित सम्पत्ति हो जाती है । दूसरे शब्दों में, नारी द्वारा पिता के परिवार में दाय में प्राप्त सम्पत्ति नारी-सम्पदा न होकर उसकी अनिर्बन्धित सम्पदा होती है । वहाँ किसी नारी से दाय में प्राप्त सम्पत्ति सर्वदा स्त्रीधन होती है न कि नारी-सम्पदा हिन्दू विधि में इस प्रकार

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

की सम्पदा के अपने वैशिष्ट्य हैं। आंग्ल विधि में इसी ढंग की सम्पदा के लिये प्रयुक्त होने वाले शब्दों अथवा पदों से इसकी धारणा को ठीक-ठीक अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है । हिन्दू विधि में जीवन-काल के लिये सम्पदा (estate for life) परिमित सम्पदा (estate in fee) अथवा पूर्ण सम्पदा (estate in tail) की धारणायें नहीं हैं

नारी-सम्पदा होने वाली सम्पत्ति

(What Property is Woman's Estate)

बनारस, मिथिला, मद्रास और बंगाल शाखाओं के अनुसार नारी द्वारा पुरुष या नारी से प्राप्त दाय में सम्पत्ति नारी-सम्पदा होती है ।

बम्बई शाखा के अनुसार नारी द्वारा, उस परिवार में जिसमें वह विवाह द्वारा आई है, पुरुष से प्राप्त की गई सम्पत्ति नारी-सम्पदा होती है। अपने पिता से परिवार में दाय में प्राप्त की गई सम्पत्ति और किसी नारी से दाय में प्राप्त की गई सम्पत्ति स्त्रीधन होती है न कि नारी-सम्पदा।

यदि नारी को कोई सम्पत्ति उत्तरदान या अनुदान में दी गई है और उसमें से अनिर्बन्धित अधिकार नहीं दिया गया है, तो वह नारी सम्पदा होगी। बंटवारे में नारी को प्राप्त सम्पत्ति भी नारी-सम्पदा ही होती है।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

अविभक्त परिवार की किसी विधवा को भरण-पोषण के लिये दी गई सम्पदा उसकी मृत्यु के उपरान्त अविभक्त परिवार की सम्पत्ति में जुड़ जाती है। किन्तु यदि सम्पत्ति भरण-पोषण के बदले में दी गई है तो वह नारी की अनिर्बन्धित सम्पदा हो जाती है

जब पति द्वारा धारण की गई (held) व्यक्तिगत इनाम की भूमि विधवा के लिये छोड़ी जाती है, तो इनाम के अधिकारपत्र का विधवा के नाम से होना इनाम को विधवा की अनिर्बन्धित सम्पत्ति नहीं बनायेगा, बल्कि वह उसकी नारी-सम्पदा ही होगी।

उत्तरभोगी

(Reversioners)

पति अथवा गत-स्वामी (last owner) के अगले दायाद (next heir) को, जिसे नारी-सम्पदा नारी की मृत्यु के पश्चात् प्राप्त होनी है, उत्तरभोगी कहा जाता है। उत्तभोगी कोई पुरुष, अथवा नारी हो सकती है। ये दो प्रकार के होते हैं- वास्तविक (real) तथा उपधारित (presumed)। वास्तविक उत्तभोगी वह है जो नारी की मृत्यु के समय अस्तित्व में रहता है और वह सम्पत्ति को प्राप्त करता है । उपधारित उत्तरभोगी वह है जो नारी के जीवन-काल में किसी समय सम्पत्ति को पाने की प्रत्याशा करता है। इस प्रकार वास्तविक उत्तभोगी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

उपधारित उत्तरभोगी से भिन्न हो सकता है। वास्तविक उत्तरभोगी का अवधारण नारी की मृत्यु के समय की वस्तुस्थिति के आधार पर होने से, नारी के जीवनकाल में यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक उत्तरभोगी कौन होगा। उपधारित उत्तरभोगी वह है जो विधवा के जीवनकाल में उसकी मृत्यु के पश्चात् दाय पाने की आशा रखता है। यह वह व्यक्ति होता है जो गत स्वामी का दायाद होगा, यदि विधवा उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो तो। प्रिवी कौंसिल ने एक वाद70 में कहा है कि " नारी-सम्पदा चाहे जैसी भी हो, यह स्पष्ट है कि जब वह समाप्त नहीं होती यह कहना असम्भव है कि उसके पति के दायाद के रूप में कौन इसे प्राप्त करेगा। नारी सम्पदा के समाप्त होने तक उत्तराधिकार पति के दायादों के लिये उपलब्ध नहीं होता। सम्पदा की समाप्ति पर सम्पत्ति उन लोगों को प्राप्त होती है जो, यदि पति आज तक जीवित रहा होता और विधवा की मृत्यु के साथ ही उसकी मृत्यु हुई होती तो उसके दायाद हुए होते।"

उत्तरभोगी के हित का स्वरूप

(Nature of the interest of the reversioner)

उत्तरभोगी का हित नारी की मृत्यु के पश्चात् दाय प्राप्त करने की प्रत्याशा का हित है। यह कोई निहित (vested) हित नहीं है। यह उत्तराधिकर पाने की मात्र-संभावना है। इसलिये न तो इसे बेचा जा सकता है, न बन्धक रखा जा सकता है, न तो इसे किसी को अभ्यर्पित किया जा सकता है, जैसा कि आंग्ल-विधि में

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

PGS National College Of Law

हो सकता है। इस प्रकार के हित का किया गया कोई अन्य-संक्रामण शून्य होता है।1 किसी नारी-सम्पदा को प्राप्त करने के अनेक उत्तरभोगी होने की स्थिति में, कोई भी उत्तरभोगी दूसरे उत्तरभोगी के माध्यम से अपना हक रखता हुआ नहीं माना जायेगा, बल्कि उनमें से प्रत्येक अपना हक सीधे गत स्वामी के माध्यम से प्राप्त करता है।

उत्तरभोगी का अधिकार (Rights of Reversioner)

यद्यपि उत्तरभोगी का सम्पत्ति में कोई हित नारी के जीवनकाल में नहीं होता है, किन्तु नारी द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कतिपय विधिविरुद्ध कार्य करने पर वह उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। वह उसमें सम्मिलित होने का भी अधिकार रखता है। कोई उत्तरभोगी विधवा के जीवन-काल में न्यायालय में अपने अगले उत्तरभोगी होने की घोषणा का वाद नहीं ला सकता।73 यदि नारी सम्पत्ति को ह्रास में ले जाती है, अथवा इसे क्षति पहुँचाती है तो वह उसे ऐसा करने से रोकने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है,74 और इस सम्बन्ध में चरम स्थिति होने पर सम्पत्ति का आदाता (receiver) नियुक्त किया जा सकता है। इसी आधार पर वह नारी द्वारा किये गये अन्य-संक्रामण को उत्तभोगी पर आबद्धकर (binding) न होने का वाद भी ला सकता है।5 ऊपर यह कहा जा चुका है कि विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर नारी द्वारा किया गया अन्य-संक्रामण उत्तरभोगी पर आबद्धकर नहीं होता है । उत्तरभोगी इस घोषणा के वाद को नारी के जीवन काल में प्रस्तुत करने को

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हिन्दू विधि

बाध्य नहीं है। वह विधवा की मृत्यु होने और सम्पत्ति के अपने में निहित होने पर अन्यसंक्रान्ती से सम्पत्ति का कब्जा लेने का वाद प्रस्तुत कर सकता है। विधवा द्वारा अन्य-संक्रामण में अपनी सहमति दिये रहने पर वह ऐसा करने के बिबद्ध होता है। नारी द्वारा सम्पत्ति के हरास के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने में उत्तरभोगी वाद को समस्त सम्भव उत्तरभोगियों की ओर से, अर्थात् प्रतिनिधि रूप में प्रस्तुत करता है।76 यद्यपि यह प्रस्तुत करने का अधिकार निकटतम उत्तरभोगी को ही होता है, किन्तु किसी कारण से उसके ऐसा न करने पर दूर का उत्तरभोगी भी वाद करता है ।

विधवा की मृत्यु पर सम्पदा उत्तरभोगी में निहित हो जाती है । यह सम्पत्ति में मूर्त (tangible) अधिकार होता है किन्तु वैयक्तिक (personal) अधिकार नहीं होता है तथा वह विरासत में प्राप्त किये जाने योग्य तथा अन्तरणीय होता है। उत्तरभोगी या उसके वारिसों को अन्तिम पुरुष धारक की सम्पदा लेने से केवल तभी प्रवारित किया जायेगा यदि उसने अन्य-संक्रामण को पुष्ट (confirm) या अनुसमर्थित (ratify) कर दिया है या अपने ही किसी कार्य द्वारा उस पर आक्षेप करने से अपने को अन्यथा विबिन्धित या प्रवारित कर दिया हो। यदि विधवा की मृत्यु होने के 12 वर्षों के भीतर उस संव्यवहार को निराकृत किये बिना ही उत्तरभोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों को यह अधिकार होगा कि वे सम्पत्ति को वापस ले सकें किसी विधवा की मृत्यु के पश्चात् उसके अन्य-संक्रान्तियों का कब्जा विधिविरुद्ध होता है तथा वे अन्त:कालीन लाभों को चुकाने के दायी होते हैं ।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

हिन्दू विधि

हिन्दू उत्तराधिकर अधिनियम, 1956 की धारा 14 द्वारा नारी-सम्पदा समाप्त कर दी गई है। नारी सम्पदा के समाप्त होने से उत्तरभोगी भी समाप्त हो गये हैं। किन्तु अधिनियम के लागू होने के पूर्व के नारी द्वारा विधिविरुद्ध अन्य-संक्रामण के सम्बन्ध में उत्तरभोगी का अस्तित्व अब भी बना हुआ है।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.